


प्रस्तुप 2 (नियम 11 (4) द खण्ड)



संस्कृत अधिकारी

ज्ञान विज्ञान  
वर्ष चर्चा वर्ष

## कार्यालय, जिला शक्ति अधिकारी (JABALPUR), मध्यप्रदेश

दरभाष:-

फैक्स:

ई-मेल:

क्रमांक: स्कूल आई.डी. - 39253538/35100  
प्रति,

दिनांक: 11/08/2017

प्रबंधक,

(ST. ALOYSIUS SEN. SEC. SCHOOL)

वयय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ति का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ति का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -ST. ALOYSIUS SEN. SEC. SCHOOL, KATANGI ROAD, RIMJHA POST MANGELA, JABALPUR को कक्ष KG-I से कक्ष 8th तक के लए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्थीकृति निम्न लखत शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता वस्तावित नहीं होगी तथा कक्ष 8 से आगे की मान्यता संबद्धता की कोई वाईता कसी भी रूप में यवक्षत नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ति का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ति का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पडोस की सीमा के बंचत समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्ष 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवे धत बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य पारंभक शक्ति देगा जिस रूप में उसके बाईक आयती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार या बैक आयती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है कंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा वशर्ते के जहां स्कूल पूर्ण स्कूल (प्र स्कूल) शक्ति दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लए स्कूल को पृथक् से बैक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी स्कूल कोई भी के पटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभावक के साथ कसी छानबीन प्रक्रया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल कसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सदूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लए वहित की गई वस्तावित कालावधि के पछात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से कसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा क-
  - कसी स्कूल में पारंभक शक्ति पूर्ण होने तक कसी भी बालक को कसी कक्ष में रोका या निष्का सत नहीं कया जाएगा;
  - कसी बालक को बारीरिक या मान सक रूप से प्रता डू नहीं कया जाएगा;
  - पारंभक शक्ति पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन पारंभक शक्ति पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्ति/वशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित कया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शक्तिकों की भर्ती की जाएगी; वशर्ते के वर्तमान में कार्यरत जो शक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहता प्राप्त करनी होगी;
  - शक्तिकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन वनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टी चंग की गति व धर्यों में शक्ति स्वयं भाग नहीं लेंगे, संगी।
- स्कूल समुच्चत प्राधिकारी व्यारा निर्धारित पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में वहित कर अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुवधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन कया जाएगा।

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

- स्कूल द्वारा अधनियम की धारा 19 में वनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुवधाएं निम्नानुसार पाई गयी:-

सुवधाएँ		पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	352000	352000
10	स्कूल का निम्न क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	35212	35212
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	99325	99325

**३. अधोसंरचना का व्यवरण**

कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज		वास्तविक स्थिति	
		संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	40	750	40	750
2	कार्यालय कक्ष-सह-भेण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	5	750	5	750
3	भोजनालय-सह-भेण्डार	1	750	1	750

च.	अन्य सुवधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुवधाओं तक पहुंच यादा रहित है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकृत एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	5831	5000
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	7	3
6	पेयजल सुवधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सुवधा की संख्या	24	24
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/हाँ)	Indian	Indian
9	लड़कों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
10	लड़कों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	16	16
11	वकलांग बच्चों के लए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षत करे जाएंगे तथा चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा सत्या पत होंगे और उच्चत लेखा व्यवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक लेखाओं के व्यवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शक्ता अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..39253538.. एवं डाइसकोड (DISE) 23390417101 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भ में लें।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शक्ता केन्द्रजिला शक्ता अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कार्यों को दूर करने के लए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी करे जाएं।
- सीसायटी/स्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण क्या जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपावधि "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधनियम एवं नियम के उपर्योगी और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सद्व हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शक्ता अधिकारी

जिला JABALPUR

मध्यप्रदेश